कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1259 / 2023 / 10–11 / 348 भोपाल, दिनांक 18/01/2024

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर–धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/ 154962/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPR015/2023-BHO दिनांक 18.12.2023

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The area proposed for diversion is 244.039 ha while in online the area mentioned as 248.329 ha which should need to be corrected. The area correction is done by the undersigned in online Part I but accordingly corrections in other columns like component wise break up, village wise break up etc. and subsequently in Part II are needed to be done by the PP and DFO shall be uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा ऑनलाईन भाग–1 में निर्देशानुसार वनक्षेत्र में संशोधन कर दिया गया है। प्रकरण में 244.039 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।
2	The area in DSS analysis of the KML submitted for diversion area is found 249.82 ha while it should be 244.039 ha. Further the location of proposed station is also not marked on KML shall be uploaded.	आवेदक संस्थान ने आपके द्वारा दिए निर्देशानुसार संशोधित KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।

3	The details regarding violation in Para 11 is not correctly filled regarding person responsible for violation. This need to be reviewed by the State Govt.	वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर ने पत्र दिनांक 27.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर राजस्व विभाग से अधिग्रहण पश्चात लगभग 4.50 हेक्टेयर वनभूमि पर अर्थवर्क एवं ब्रिज निर्माण कार्य कर लिया गया है। निर्माण कार्य को रोका गया है, वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य बंद है। प्रकरण में निम्ननानुसार कार्य अधिनियम के उल्लंघन में किए गए हैं:– (1)Earth work done from Railway Chainage 80240 to 80820 during April 2019 to August 2019. (2)Earth work done from Railway Chainage 80820 to 80880 during July 2022 to September 2022. (3)Construction of Bridge No. 230 at Chainage 80515 during July 2019 to November 2019. (4)Construction of Bridge No. 231 at Chainage 80820 during July 2020 to March 2021. (5) Construction of Bridge No. 232 at Chainage 80900 during September 2022 to October 2022. उपरोक्त जानकारी वन मण्डलाधिकारी ने ऑनलाईन भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 11 में भी अंकित की गई है।
4	In Para 12 of online Part II of Alirajpur Division the information related to work progress seems incorrect. This need to be reviewed and corrected.	वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर ने ऑनलाईन भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 12 में संशोधन किया गया है, जो निम्न है:– Whether work in violation is still in progress (Yes / No): Yes वर्तमान में कार्य बन्द है।
5	The component wise breakup need to be in more details because component like station building, Staff room, circulation area, internal roads etc are also involved as per the layout submitted in online portal as an additional document.	आवेदक संस्थान द्वारा जानकारी ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड की गई है।
6	The format used for providing cost analysis in C/B analysis is not as per the format prescribed in the guideline. This need to be provided as per the prescribed guideline.	आवेदक संस्थान द्वारा Cost-Benefit analysis प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है एवं ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड की गई है।
7	The DSS analysis of the CA area shows that for the proposed 494 ha area the calculated area comes 545.33 ha out of which 29 ha is MDF. The State shall be uploaded to correct the KML accordingly because the proposal required actual CA area of 488.078 ha only.	वन मण्डलाधिकारी धार ने वैकल्पिक वृक्षारोपण की संशोधित जानकारी ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।
8	Further, in CA area of 45 ha marked in Sardarpur Range - 469 overlapped with the area proposed for CA in some other case of FP/MP/TRANS/156656/2022 6.145 ha) need to be reviewed and corrected.	वन मण्डलाधिकारी धार ने वैकल्पिक वृक्षारोपण की संशोधित जानकारी ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।

<table>
<tr><td>9</td><td>It is also observed that the same KML file has been uploaded against 25.0 ha patch and 30.00 ha patch in Sardarpur Range - 476. This also need to be reviewed and corrected.</td><td>वन मण्डलाधिकारी धार ने वैकल्पिक वृक्षारोपण की संशोधित जानकारी ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>The information provided against point 3 of this office EDS is not satisfactory. The detail regarding type of violation is to be mentioned with the action taken etc. This is informed that so cause notice has been issued to the concerned which is not satisfactory.</td><td>वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने पत्र दिनांक 27.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में मौके पर वन/राजस्व सीमा अस्पष्ट होने के कारण राजस्व विभाग अनुसार उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के नाम से दर्ज है, इसी कारण राजस्व विभाग द्वारा उक्त वनभूमि का अधिग्रहण, रेल्वे विभाग को दे दिया गया। राजस्व विभाग से अधिग्रहण प्राप्त होने के पश्चात आवेदक विभाग ने लगभग 4.50 हेक्टेयर वनभूमि पर अर्थवर्क एवं ब्रिज निर्माण का कार्य कर लिया गया है।
वन मण्डल द्वारा आवेदक विभाग को मौके पर कार्य करने से वर्तमान में रोक दिया गया है तथा प्रकरण में दोषी पाये गए वन कर्मचारियों के नाम एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।
<table>
<tr><th>कर्मचारी का नाम</th><th>पदनाम</th><th>पदस्थिति</th><th>की गई कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>श्री गुमचन्द्र मावी</td><td>वनपाल, वनपरिक्षेत्र सहायक हरदासपुर</td><td>12.08.2017 to 02.12.2019</td><td rowspan="3">लघु शास्ती परिनिन्दा से दण्डित किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री हीरालाल बामनिया</td><td>वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी</td><td>23.01.2017 to 16.04.2019</td></tr>
<tr><td>श्री रमेश भुरिया</td><td>––"––</td><td>01.07.2019 to 11.05.2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18.01.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1259/2023/10–11/349

भोपाल, दिनांक 18/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18.01.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल